न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, रामस्वरूप चौहान, आर.ए.एस.

अपील संख्याः 86/13 **निर्णय दिनांकः– 13.01.23**
(जीसीएमएस संख्या 2013/00100)

1. झंवर लाल वल्द स्व. श्री शंकर लाल, जाति भाटी (माली), निवासी पंचमुखा हनुमान मंदिर, रानीबाजार, बीकानेर।

–अपीलांट्

–बनाम–

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, बीकनेर।

–रेस्पोडेन्ट्

अपील विरुद्व निर्णय व डिकी दिनांक 08–07–2013
न्यायालय सहायक कलक्टर, बीकानेर।

उपस्थितः–

1. श्री दाऊलाल हर्ष, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री मिलाप चन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट् ने यह अपील सहायक कलक्टर, बीकानेर के निर्णय व डिकी दिनांक 08–07–2013 जिसके द्वारा अपीलांट का दावा तथ्यों व कानून के विपरीत जाकर खारिज किया गया है, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष को सुना गया।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने बहस करते हुए कथन किया कि अपीलांट् वादी के पिता की खातेदारी कृषि भुमि ग्राम किसमीदेसर में स्थित है वादी के पिता के स्वर्गवास के पश्चात् उनके तमाम वारिसान भमि के संयुक्त हिस्सेदार हुए। वारिसान में माणक लाल, कन्हैयालाल, घनश्याम, जमनादेवी, सोनादेवी जसोदा देवी एवं जेठा देवी बेवा

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

शंकरलाल ने अपना हक व हिस्सा वादी अपीलांट के पक्ष में छोड दिया, वादी सम्पूर्ण वादगत कृषि भूमि का एक मात्र मालिक व काबिज खातेदार हुआ तथा वादी के नाम इन्तकाल तस्दीक हो गया।

उन्होनें आगे कथन किया कि वादग्रस्त भूमि ग्राम किसमीदेसर में स्थित है जिसके साबिका खसरा नं. 616/159/1 तादादी 3 बीघा 13 बिस्वा जिसके हाल खसरा नंबर 297 तादादी 1.06 हैक्टर, खसरा नंबर 298 तादादी 0.10 हैक्टर एवं साबिका खसरा नंबर 160/8 तादादी 19 बीघा 11 बीस्वा हाल खसरा नंबर 292 तादादी 4.60 हैक्टर खसरा नंबर 293 तादादी 0.34 हैक्टर, खसरा नंबर 294 तादादी 0.74 हैक्टर, खसरा नंबर 295/2 तादादी 1.54 हैक्टर, खसरा नंबर 296 तादादी 0.50 हैक्टर भू–प्रबंध विभाग द्वारा बनाये गये। वादग्रस्त कृषि भूमि भू–प्रबंध कार्यवाही के दौरान वादी पिता एवं वादी का खसरा नंबर 160/8 के नया नंबर 292, 293, 294, 295 एवं 296 के बजाय खसरा नंबर 238 में तादादी 2.78 बीघा पर काश्त शुरू से रहा है

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

अभिभाषक अपीलांट ने बहस के दौरान आगे कथन करते हुए कहा गया कि दौराने भू–प्रबंध कार्यवाही कोई जांच नही की गई ना ही वादी के पिता को नोटिस दिया गया तथा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी की तरफ से कोई जबाव दावा पेश नहीं किया गया और न ही कोई साक्ष्य पेश किए गये। अभिभाषक अपीलांट द्वारा निवेदन किया गया कि अपील स्वीकार कर अपीलाधीन निर्णय व डिग्री निरस्त फरमाई जाकर वादी का भू–प्रबन्ध कार्यवाही के दौरान हाल खसरा नंबर 292, 293, 294, 295 एवं 296 में 2.95 हैक्टर दर्ज भूमि को दुरस्त किया जाकर हाल खसरा नंबर 238 में 2.78 हैक्टर ग्राम किसमीदेसर भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाई जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि वादी द्वारा अपील में किये गये सभी दावे आधारहीन व मनगड़त है खसरा नंबर 238 पर वादी का या वादी के पिता का कभी कोई कब्जा काश्त नही रहा है। वादी के द्वारा चक 238 के संबध में किसी प्रकार का मिलान क्षेत्रफल भी प्रस्तुत नही किया गया है। वादी द्वारा खसरा 238 के संबध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया जिससे यह

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

साबित हो सके वादी का खसरा नंबर 238 में कभी कब्जा काश्त रहा हो। अतः वादी द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन एवं अधिनस्थ न्यायालय कि पत्रावली का अवलोकन एवं विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. प्रस्तुत प्रकरण में अपीलांट/वादी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि ग्राम किसमीदेसर के साबिका खसरा न. 616/159/1 तादादी 3 बीघा 13 बिस्वा जिसके हाल खसरा नं. 297 तादादी 1.06 हैक्टर, खसरा नंबर 298 तादादी 0.10 हैक्टर एवं साबिका खसरा नंबर 160/8 तादादी 19 बीघा 11 बीस्वा हाल खसरा नंबर 292 तादादी 4.60 हैक्टर खसरा नंबर 293 तादादी 0.34 हैक्टर, खसरा नंबर 294 तादादी 0.74 हैक्टर, खसरा नंबर 295/2 तादादी 1.54 हैक्टर, खसरा नंबर 296 तादादी 0.50 हैक्टर भू. प्रबंध विभाग द्वारा पैमूद किये गये। अपीलांट/वादी का कथन है कि भू–प्रबंध के दौरान खसरा नं. 292, 293, 294, 295, 296 में 2.95 हैक्टर भूमि दर्ज कर दी गई जबकि अपीलांट/वादी खसरा नं. 238 में काबिज काश्त है अतः खसरा नं. 238 में 2.78 हैक्टर भूमि की खातेदारी अधिकारी की घोषणा की मांग वादपत्र/अपील के माध्यम से की गई है।

प्रकरण में अपलांट/वादी के कथनानुसार खसरा नं. 238 दौराने भू–प्रबंध परिवर्तित किये गये है, अपीलांट्/वादी पर इस कथन को साबित करने का भार था, परन्तु अपीलांट्/वादी द्वारा अपने कथन के समर्थन में ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य यथा मिलान क्षेत्रफल/सूची नं. 4 अथवा दौराने सेट्लमेंट हुए परिवर्ततन के संबंध कोई नजरी नक्शा अथवा मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिससे साबित होता हो कि अपीलांट्/वादी खसरा नम्बर 238 पर काबिज काश्त है, ना तो अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये, नाही न्यायालय हाजा के समक्ष जिससे अपीलांट के इस कथन को स्वीकार किया जा सके की अपीलांट/वादी का खसरा नं. 238 ग्राम किसमीदेसर में किसी प्रकार का कब्जा काश्त रहा हो ऐसी स्थिति में मात्र मौखिक कथन के आधार पर अपीलांट/वादी वादग्रस्त भूमि पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर सत्यमेव जयते

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

का पात्र नही माना जा सकता। अपीलांट प्रस्तुत अपील के माध्यम से किसी प्रकार की राहत प्राप्त करने का अधिकारी नही है।

7. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट की अपील खारिज की जाकर न्यायालय सहायक कलक्टर बीकानेर का अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 08—07—2013 यथावत बहाल रखा जाता है।

8. निर्णय आज दिनांक 13.01.23 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी
सत्यमेव जयते
बीकानेर

(रामस्वरूप चौहान)
राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

डिकरी ब सीगे अपील

(ऑ. 41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix 'G' 9)

अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी मुकाम बीकानेर
बइजलास रामस्वरूप चौहान, आर.ए.एस.

झंवरलाल बनाम सरकार
(अपील संख्या 86 / 13)

बनाराजगी निर्णय व डिक्री सहायक कलेक्टर, बीकानेर
मुवर्खे 08–07–2013

राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर सत्यमेव जयते

यह अपील ब–तारीख 13 माह 01 सन् 2023 रूबरू हमारी ब हाजरी श्री दाऊलाल हर्ष मिनजानिब अभिभाषक अपीलांट् व श्री मिलापचन्द धतरवाल मिनजानिब राजकीय अभिभाषक पेश होकर हुक्म हुआ कि अपीलांट की अपील खारिज की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 08–07–2013 सहायक कलेक्टर, बीकानेर बहाल रखा गया।

(खर्चा अपील हाजा का हल्व तफ्सीस जेरे तादादी मुबलिग ....–.........) रूपयें अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का ....–.............. अदा करें ।

बशब्द मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख 13 माह 01 सन् 2023 को जारी किया गया।

मुहर

हस्ताक्षर राजस्व अपील प्राधिकारी,
बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू.	पै.	रेस्पोडेन्ट	रू.	पै.
1. स्टाम्प अपील............ 2. स्टाम्प वकालतनामा .... 3. इजराय हुक्मनामा .... 4. वकील फीस बाबत् .... मीजान			1. स्टाम्प वकालतनामा............. 2. अर्जी .... 3. इजराय हुक्मनामा .... 4. मेहनताना वकील .... मीजान		